तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
06/06/2023	वकील वादीगण उप.। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि काश्त गवाहदार पेश करने हेतु एक और अवसर दिया जावें। जबकि वकील प्रतिवादी ने इस पर एतराज करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण विगत 27.3.2019 से आईन्दा वादी काश्त गवाहान के चल रहा है और प्रकरण को लम्बित करने की नियत से गवाहान हाजिर नहीं कर रहे हैं। जो वादी काश्त बंद की जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रकरण विगत वादीगण काश्त के दिनांक 27.3.2019 से निरन्तर चल रही है और विगत 04 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त आईन्दा गवाहान नहीं करवाई गई है। जबकि 04 वर्ष का समय अपने आप में बहुत लम्बा समय होता है, इससे प्रतीत होता है कि वादी पक्ष केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करना चाहते हैं उपरोक्त विवेचन अंतर्गत गवाहान हेतु आगे अवसर दिया जाना न्यायालय का दुरुपयोग होगा ऐसी सूरत में वादी काश्त बन्द की जाती है। तत्पश्चात उभयपक्ष प्रतिवादी ने निवेदन किया कि बाद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2023.06.29 14:25:46
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज

साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी
स्पष्ट पर होता है, जो कोर्ट में
बहस सुनी जावे। जो सफलता होती
बहस सुनी जानी उचित प्रतीत होती
है। बहस उभयपक्षों अधिवक्ताओं की
सुनी गई और दोनों पक्ष वकील
वादीगण ने निवेदन किया कि मुतवफी
लखनसिंह के वारिसान में प्रेमसिंह,
रवीनसिंह व हेमसिंह थे। स्वीकार्य वारिस
के वारिसान में मकूता जमीन वारिस
थी और रवीनसिंह का देहान्त निःसन्तान
पूर्व हो जाने की इस कारण वादगणों के
पिता प्रेमसिंह, रवीनसिंह व हेमसिंह के
नाम इन्द्राज हुई थी और मकूता का
ना औलाद होने से गई थी। लेकिन
प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा गलत तरीके
के आधार पर नामान्तरण की वारिस बताते
हुए अपने पक्ष में नामान्तरकरण भरी किया।
जो निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद
स्वीकार करते हुए इस्तमरारी डिक्री फरमाया
जावे। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी ने निवेदन
किया कि मकूता के भाईयों वारिस होने के कारण
प्रतिवादी संख्या 01 को गोदपुत्र किया
था और गोदपुत्र के आधार पर ही उसका
के वारिस के नाम नामान्तरकरण किया
गया था। वादी पक्ष द्वारा अपने वादपत्र
साबित वाद पत्र को साबित करवाने में
सफल नहीं करवाई गई है। इस कारण
वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से
खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	
	हमने उभयपक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से पाया कि वादीगण की ओर से वाद में मुकम्मल इस्तदुआ चाही गई कि मन्नूरा की मां श्रीमती फौत हुई थी और उसका कोई व्यावहारिक संतान नहीं थी और न ही मन्नूरा ने प्रतिवादी कंवला 01 को गोदपुत्र किया था। क्योंकि प्रतिवादी कंवला 01 ने कूटरचित तरीके से अपने आपको गोदपुत्र बनाकर मन्नूरा के हिस्से की भूमि अपने पक्ष में नामान्तरकरण करवा लिया। जो कि इन्द्राज सही नहीं होने के कारण मालकिक इस्तदुआ वाद स्वीकार करने की मांग की गई है। वाद को साबित करने का उत्तरदायित्व वादी पक्ष पर होता है, जबकि वादी पक्ष की ओर से ऐसी कोई मौखिक गवाह व दस्तावेजी सबूतों पेश नहीं किए गए। इससे साबित होता कि प्रतिवादी कंवला 01 मन्नूरा का गोदपुत्र नहीं है। उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए मौखिक गवाह पेश करवाने होते हैं, जबकि वादी पक्ष की ओर से एक भी गवाह नहीं करवाई गई है इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है तो जहां तक गोदनामा का प्रश्न है, कि गोदनामा सही है अथवा नहीं इस बिन्दु का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not V
Digitally signed by V
Date: 2023.06.29 1
Reason: SelfAtteste

120/2016

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इसके लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी पड़ती है। उपरोक्त विवेचन उपरांत वादीगण अपना वाद साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद खारिज योग्य है। लिहाजा वादीगण का वाद [illegible] (1) सबूतों के अभाव में [illegible] साबित नहीं होने के कारण [illegible] जाता है। डिक्री पर्चा [illegible] निर्णय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] हो। चारण सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.हरीसिंह पुत्र प्रेमसिंह 2.पुरो बेवा विरदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरणा तहसील पचपदरा		1.नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह 2.भूरसिंह पुत्र हेमसिंह 3.मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह 4.भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह 5.मांगीदेवी बेवा शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कोरणा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 6.अणछीकंवर पत्नी मांगूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी [illegible]तासनी सांगरिया रोड जोधपुर 7.भंवरसिंह पुत्र [illegible]न्द्रसिंह 8.तुलसी [illegible]द्रसिंह 9.[illegible]सिंह 10.[illegible] 11.[illegible] पुत्र [illegible]मसिंह 12.हीराकंवर [illegible]मसिंह 13.जवाहरसिंह पुत्र [illegible]वीसिंह 14.तगसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी [illegible] तहसील पचपदरा 15.राज[illegible] जरियें तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबतः—88,53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 120 / 2016
निर्णय दिनांक :—06.6.2023

वादीगण की ओर से श्री संतोषकुमार भंसाली व श्री कैलाशचन्द माहेश्वरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री अचलाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 से 12 की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 अनुपस्थिति इस वाद में आज तारीख 06.6.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतो के अभाव के कारण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह--व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़	–	जोड़	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested